राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7194/2022

सुगन प्रजापत पत्नी स्वर्गीय श्री मेघा राम प्रजापत, 54 वर्ष, निवासी 65, दिग्विजय नगर, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान, पिन-कोड-342003----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक, न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर—--प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री रजत अरोड़ा
प्रतिवादी के लिए:- श्री दिनेश कुमार जोशी

माननीय न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

29/01/2024 को आरक्षित

13/02/2024 को फैसला सुनाया गया

1. इस रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राथमिकता दी गई है जिसमें निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया है:-"इसलिए, यह अत्यंत विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका की अनुमति दी जाए और एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाएः -

I. दिनांकित 18.01.2021 (अनुलग्नक-16) आदेश को कृपया रद्द किया किया जाए और अलग रखा जाए।।

II. उत्तरदाताओं को 70 लाख रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए।

III. प्रतिवादियों द्वारा दावे को मनमाने ढंग से अस्वीकार किए जाने की तारीख यानी 18.01.2021 से याचिकाकर्ता के पक्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाए।

IV. माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादियों पर पर्याप्त जुर्माना लगाने की कृपा करे।

2. प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता एक विधवा है जिसका पति स्वर्गीय श्री मेघा राम प्रजापत (जिसे इसके बाद 'मृतक' कहा गया है) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे. डी. वी. वी. एन. एल.), बालोतरा में कार्यकारी अभियंता के पद पर काम कर रहा था। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने के बाद, जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर के अधीक्षक अभियंता (पावस) ने दिनांक 10.04.2020 के आदेश के माध्यम से मृतक को कोविड देखभाल केंद्रों/संगरोध केंद्रों को बिजली की आवश्यक सेवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

2.1. इसके बाद, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 27.04.2020 के आदेश के माध्यम से स्वायत्त निकायों/बोर्डों/निगमों के कर्मचारियों के आश्रितों/परिवार को, जिन्होंने कोविड-19 वायरस के कारण ड्यूटी पर काम करते हुए अपनी जान गंवाई, और उपरोक्त निकायों के प्रमुख को नियंत्रक अधिकारी की सिफारिश पर 50 लाख के अनुदान राशि को मंजूरी देने का निर्णय लिया; इसके अलावा, दिनांक 05.06.2020 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक, जे. डी. वी. वी. एन. एल. ने जे. डी. वी.एन. एल. में विनियमन 29-ए. (2) के तहत वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए 50 लाख के

अनुदान से संबंधित पहले के आदेशों को अपनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और जे. डी. वी. वी. एन. एल. पेंशन विनियम, 1988 में विनियम 29-ए (2) के तहत उसी अंतःस्थापित विनियम 2 (आई) के अनुसार, जिसमें उपरोक्त राशि जे. डी. वी. वी. एन. एल. पेंशन विनियम, 1988 के विनियम 29-ए की सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन दी जानी थी और उक्त राशि उपरोक्त विनियमों के तहत देय Rs.20 लाख की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होनी थी।

2.2. इसके बाद, 04.09.2020 को, मृतक ने बीमार महसूस किया और कोविड-19 वायरस के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया, जिसके बाद दुर्भाग्य से 12.09.2020 पर बहु अंग विफलता के कारण जल्द ही उसकी जान चली गई। इसके बाद, दिनांकित 05.06.2020 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने फॉर्म-17 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की मांग की गई, 20 लाख रुपये की राशि के साथ (पेंशन विनियमों के अनुसार), जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (बाड़मेर क्षेत्र) को दिनांकित 05.11.2020 को संबोधित किया, जिसमें याचिकाकर्ता की अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। उसी के अनुसरण में, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (बाड़मेर क्षेत्र) ने जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर के अधीक्षण अभियंता (पावस) को एक पत्र लिखकर इस मामले में एक व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट मांगी। हालाँकि, उपरोक्त के बावजूद, 18.01.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को उपरोक्त लाभ देने से इनकार कर दिया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही राज्य सरकार ने उपरोक्त आदेश के अनुसार 50 लाख मुआवजे की घोषणा की है और उसके बाद उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार के निर्देशों के तहत 05.06.2020 दिनांकित आदेश के माध्यम से विनियमों में

संशोधन के माध्यम से Rs.50 लाख की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए योजना शुरू की थी, वही उपरोक्त विनियमन के तहत 20 लाख रुपये के अतिरिक्त है, हालांकि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

3.1. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश के अनुसार, रुपये 70 लाख रुपये का पूरा दावा, इस कारण से अस्वीकार कर दिए गए थे कि यह स्थापित नहीं हुआ था कि मृतक की मृत्यु ड्यूटी पर कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ते हुए कोविड-19 वायरस के कारण हुई थी।

3.2. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.04.2020 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, मृतक ऐसे केंद्रों में बिजली की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोविड देखभाल केंद्रों का बार-बार दौरा करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था (जैसा कि वाहन की लॉगबुक से स्पष्ट होता है), और इस तरह की यात्राओं की गिनती पर और उसके दौरान, मृतक, संबंधित समय पर, बीमार महसूस करने लगा, जिसके कारण उसका आर. टी. पी. सी. परीक्षण किया गया और वह कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। नतीजतन, दुर्भाग्य से, 12.09.2020 को, उन्होंने कोविड-19 प्रभाव यानी बहु अंग विफलता के कारण दम तोड़ दिया और एम्स अस्पताल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट है।

3.3. विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (सिविल रिट याचिका संख्या 4539/ 2021) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24.03.2022 को पारित आदेश और सुशीला बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय (29.09.2023 को निर्णीत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

6106/2022,) और संगीता वाही बनाम भारत संघ और अन्य (18.10.2023 को निर्णीत, सिविल रिट याचिका संख्या 4912/2021) के मामले में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और प्रेमलता पांडे बनाम यू. पी. राज्य और अन्य (29.05.2023 को निर्णीत, सिविल रिट याचिका संख्या 17575/2023)के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का हवाला दिया।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि मृतक कोविड-19 महामारी के दौरान किसी विशेष कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था और वह कार्यालय में अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से उपरोक्त मुआवजे के अनुदान को सही ढंग से खारिज कर दिया।

4.1. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त विनियमन के अनुसार केवल 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्राप्त करने का हकदार था, क्योंकि मृतक को कभी भी शारीरिक रूप से कोविड देखभाल केंद्र जाने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि केवल बिजली की आपूर्ति के संबंध में नोडल अधिकारियों या केंद्र के प्रभारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया था, इस प्रकार याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करना प्रतिवादी विभाग के अधिकार के भीतर था। इस संबंध में, विद्वान वकील ने जवाब के पैरा 14 का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है कि "..... और इसलिए याचिकाकर्ता केवल नियमों के अनुसार रुपये 20 लाख प्राप्त करने का हकदार था।

4.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि संबंधित कार्यालयों के रिकॉर्ड के अनुसार मृतक के बालोतरा में काम करने की अवधि के दौरान किसी भी समय संबंधित कार्यालयों में 10.04.2020 दिनांकित

पत्र प्रसारित नहीं किया गया था, और इसलिए, उपरोक्त पत्र किसी भी कार्यालय को जारी नहीं किया गया था और इसकी प्रामाणिकता वास्तविक नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. इस अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता जे. डी. वी. वी. एन. एल., बालोतरा में उपरोक्त पद पर काम कर रहा था और लॉकडाउन की अवधि के दौरान संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने का काम सौंपा गया था ताकि कोविड देखभाल केंद्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कोविड के खिलाफ लड़ते हुए कोविड-19 वायरस के कारण मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों/परिवार को 50 लाख रुपये दिए गए, जिसके बाद जे. डी. वी. वी. एन. एल. के प्रबंध निदेशक ने दिनांकित 27.04.2020 और 11.04.2020 को अपनाने और उपरोक्त विनियमन के अनुसार प्रदान की जाने वाली Rs.20 लाख की राशि के अलावा Rs.50 लाख की राशि प्रदान करने की मंजूरी दी; बाद में, मृतक बीमार महसूस किया और अंततः कोविड-19 के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया, जिसके बाद 12.09.2020 पर उसने अंततः बहु अंग विफलता के कारण अपनी जान गंवा दी; याचिकाकर्ता द्वारा 70 लाख, रुपये के उपरोक्त लाभ के अनुदान के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। लेकिन उसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था।

7. इस न्यायालय ने आगे कहा कि आदेश सं. एफ 12 (3) एफ. डी./नियम/2014 दिनांक 27.04.2020, राजस्थान के वित्त विभाग ने एफ. डी. आदेश सं. एफ 12 (3) एफ. डी./नियम/2014 दिनांक 11.04.2020 ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना से संक्रमण के कारण मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों/

परिवार को Rs.50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की; जिसके प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"ऐसे स्वायत्त निकायों/बोर्डों/निगमों के प्रमुख यह स्थापित होने पर कि कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना से संक्रमण के कारण हुई है, नियंत्रण अधिकारी की सिफारिश पर अनुग्रह राशि को मंजूरी देंगे। ऐसे स्वायत्त निकायों/ बोर्डों/निगमों द्वारा उनकी अपनी निधि से अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।"

8. यह न्यायालय यह भी देखता है कि प्रत्यर्थी विभाग (जे. डी. वी. वी. एन. एल.) ने स्वयं दिनांकित 27.04.2020 और 11.04.2020 के आदेशों को अपनाने की मंजूरी दी और तदनुसार, दिनांकित 05.06.2020 के आदेश के माध्यम से निगम के जे. डी. वी. वी. एन. एल. पेंशन विनियम, 1988 में 29-ए (2) के मौजूदा विनियमन के नीचे उप-विनियमन (2) (i) जोड़ा गया है; प्रासंगिक भाग जिसे इसके तहत पुनः प्रस्तुत किया गया हैः "तदनुसार, उप-विनियमन (2) (I) को निगम के जे. डी. वी. वी. एन. एल. पेंशन विनियम, 1988 में मौजूदा विनियमन 29-ए (2) के तहत निम्नानुसार जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-" (2) (i) निगम के कर्मचारियों के आश्रित/परिवार। जे. डी. वी. वी. एन. एल. के प्रबंध निदेशक यह स्थापित होने पर अनुग्रह राशि को मंजूरी देंगे कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ड्यूटी पर रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु कोरोना से संक्रमण के कारण हुई है। Rs.50 की यह अनुग्रह राशि जे. डी. वी. वी. एन. एल. पेंशन विनियम, 1988 के विनियम 29-ए के तहत देय Rs.50 लाख की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी। यह राशि उन कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेजः कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना में शामिल हैं।"

9. इस अदालत ने आगे कहा कि मुख्य अभियंता ने दिनांक 04.03.2021 (अनुलग्नक-17) के पत्र के माध्यम से स्वयं स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को स्थापित किया था कि मृतक की मृत्यु वास्तव में कोविड-19 वायरस के कारण हुई थी और वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए संक्रमित हुआ था, और उसी के लिए, याचिकाकर्ता ने वाहन संख्या RJ-19-U-1063 की लॉग बुक की एक प्रमाणित प्रति मृतक के हस्ताक्षर दिनांक 26.08.2020 के साथ प्रस्तुत की थी ताकि यह दिखाया जा सके कि मृतक ने बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए शिवांची मलानी तेरापंथ संस्थान, बालोतरा में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कोविड केंद्र का दौरा किया था; उक्त पत्र दिनांक 04.03.2021 का प्रासंगिक हिस्सा इसके तहत पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"1.उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती सुगन प्रजापत धर्मपत्नि स्व. श्री मेघाराम प्रजापत, पूर्व अधिशाषी अभियन्ता ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनके पति स्व. श्री मेघाराम प्रजापत दिनांक 26.08.2020 को माजीवाला 11 केवी फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले सिवान्ची मालानी तेरापंथ संस्थान, बालोतरा में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कोविड सेन्टर में सांयकाल 6.15 से 7.35 बजे तक बाधित रही विद्युत आपूर्ति को पुनः बहाल करने के लिए कोविड सेन्टर में गए थे। उक्त तथ्य के प्रमाण में दिनांक 26.08.2020 को मृतक अधिकारी के हस्ताक्षर से वाहन संख्या RJ-19-U-1063 की लॉग बुक पेज संख्या 73 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इस दिन को सम्बंधित सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) जोविविनिलि,बालोतरा द्वारा लिए गए शट –डाउन की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है। उपरोक्त आधार पर मृतक अधिकारी की आश्रिता ने श्री मेघाराम प्रजापत की कोविड–19 डयूटी पर रहते हुए संकमित होकर मृत्यु होने सम्बन्धी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत कर यह स्थापित किया है कि उनकी मृत्यु Fight against Covid-19 से

सम्बंधित कार्य करते हुए कोरोना से संकमित होने से राज्य सरकार एवं निगम के आदेश कमांक 59/206/ दिनांक 05.06.2020 के अनुसार देय परिलाभ की मांग की गई है। चूंकि चूंकि स्व. श्री मेघाराम प्रजापत अधिशाषी अभियंता के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन कर रहे थे तथा इसके अनुरूप उन्हें अक्सर उच्च पदस्थत निगम अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के मौखिक निर्देशों की पालना हेतु फील्ड में भ्रमण कर विद्युत आपूर्ति की मॉनिटरिंग का कार्य करना होता था। जिससे कोविड सेन्टर के भ्रमण के दौरान संकमित होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। अतः प्रकरण मय प्रार्थना पत्र संलग्न कर सहानुभूतिपर्वक विचार कर मृतक की आश्रिता को देय परिलाभ नियमानुसार स्वीकृत कराने का श्रम करें।

10. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि महामारी आतंक और चिंता का समय था जिसमें पूरा देश पूरी तरह से बंद हो गया था और लोग अपने घरों की सुरक्षा नहीं छोड़ना चाहते थे, और ऐसे थकाऊ समय में, सबसे अधिक काम और बोझ हमारे देश का स्वास्थ्य क्षेत्र था और स्वास्थ्य क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न अन्य विभागों को शामिल किया गया था, जिनमें से एक बिजली विभाग था जिसने अस्पतालों और संगरोध केंद्रों/कोविड देखभाल केंद्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस प्रकार, उस विभाग से संबंधित कर्मियों ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

11. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश के ऐसे नागरिकों के परिवार, जो कोविड-19 के खिलाफ निरंतर लड़ाई में शामिल थे, अपनी रोजी-रोटी कमाने वालों की उक्त वायरस के कारण जान गंवाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी देखभाल की जाएगी, सरकार ने वित्तीय संदर्भ में बीमा पॉलिसियां और मुआवजा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए थे, इस प्रकार इस अदालत की राय में, एक बार यह

स्थापित हो जाने के बाद कि वर्तमान याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) वर्तमान याचिकाकर्ता के समान स्थित परिवारों को दिए गए मुआवजे को प्राप्त करने का हकदार है, याचिकाकर्ता को इस तरह के मुआवजे से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उत्तरदाता, जैसा कि रिकॉर्ड से परिलक्षित होता है, याचिकाकर्ता की अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता पर विवाद नहीं करते हैं।

12. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थियों ने स्वयं 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान शामिल किया था। यह उपरोक्त विनियमन के तहत Rs.20 लाख के अलावा है और यह प्रस्तुत आरटीपीसी परीक्षण, मृत्यु प्रमाण पत्र और 04.03.2021 दिनांकित पत्र से एक स्थापित तथ्य है कि मृतक पूरी तरह से दिनांकित 05.06.2020 आदेश द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों की श्रेणी में आता था।

13. नतीजतन, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है। तदनुसार, दिनांकित 18.01.2021 (अनुलग्नक-16) के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए और अपास्त करते हुए, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को पहले से ही भुगतान की गई अनुग्रह राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, अनुग्रह राशि के रूप में याचिकाकर्ता को Rs.70,00,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह की कवायद उत्तरदाताओं द्वारा इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर की जाएगी और पूरी की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर उपरोक्त देय राशि पर भुगतान की वास्तविक तारीख तक प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे.

अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।